



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2009/फाल्गुन 21, 1930

No. 427]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2009

का.आ. 654(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से का.आ. 1490(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2006 अधिसूचना के अधीन जारी संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 1 और क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1. डॉ. प्रजापति त्रिवेदी अध्यक्ष, रासायनिक हथियार समझौता के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण
2. श्री बी.पी. पांडे निदेशक (संयुक्त सचिव, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)।”

[फा. सं. 40020/20/2007-रसा. I]

बी. पी. पांडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2009

S.O. 654(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification *vide* S.O. 1490(E), dated 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for serial numbers 1 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

1. Dr. Prajapati Trivedi Chairperson, National Authority for Chemical Weapons Convention
2. Shri B.P. Pandey Director (Joint Secretary, Department of Chemicals and Petro-Chemicals).”

[F. No. 40020/20/2007-CH. I]

B. P. PANDEY, Jt. Secy.